अध्याय I
प्रस्तावना

1.1 74वां संविधान संशोधन

संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 (74वां सीएए) जो 1 जून 1993 को लागू हुआ, ने भाग IX ए (नगरपालिकाओं) की शुरूआत की। इस अधिनियम ने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया। संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 डब्ल्यू ने राज्य विधानमंडलों को स्थानीय निकायों को शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करने के लिए कानून बनाने के लिए प्राधिकृत किया, जो उन्हें स्वशासन संस्थाओं के रूप में कार्य करने और शक्तियों और उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण के लिए प्रावधान बनाने में सक्षम होने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

संविधान की बारहवीं अनुसूची में शहरी स्थानीय निकायों को स्थानांतरित किये जाने वाले 18 विशिष्ट कार्यों का उल्लेख किया गया, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

(i) नगर नियोजन सहित शहरी नियोजन।

(ii) भू-उपयोग और भवनों के निर्माण का नियमन।

(iii) आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना बनाना।

(iv) सड़के और पुल।

(v) घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए जलापूर्ति।

(vi) जन स्वास्थ्य, स्वच्छता संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।

(vii) अग्निशमन सेवाएं।

(viii) शहरी वानिकी, पर्यावरण की सुरक्षा और पारिस्थितिक पहलुओं को बढ़ावा देना।

(ix) विकलांग और मानसिक रूप से विक्षिप्त सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना।

(x) मलिन बस्तियों का सुधार और उन्नयन।

(xi) शहरी गरीबी उन्मूलन।

(xii) शहरी सुविधाओं यथा पार्कों, उद्यानों, खेल के मैदानों जैसी सुविधाओं का प्रावधान।

(xiii) सांस्कृतिक, शैक्षिक और सौंदर्य संबंधी पहलुओं को बढ़ावा देना।

(xiv) कब्र और कब्रिस्तान के मैदान; श्मशान, श्मशान स्थल और विद्युत शवदाह गृह।

(xv) पशु तालाब; पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम।

(xvi) जन्म और मृत्यु के पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण आंकड़े।

(xvii) सड़क पर रोशनी, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और सार्वजनिक सुविधाओं सहित जन सुविधाएं।

(xviii) बूचड़खानों और चर्मशोधन शालाओं का विनियमन।

1.2 राजस्थान में शहरीकरण की प्रवृति

राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है क्योंकि इसका कुल क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर (वर्ग किमी) है। 2011 की जनगणना के अनुसार, 6.85 करोड़ की कुल आबादी में से 1.70 करोड़ (24.87 प्रतिशत) शहरी क्षेत्रों में रहती हैं। 2001-11 के दशक में शहरी आबादी की वृद्धि दर 29 प्रतिशत थी। इसके अलावा, 2021 तक राजस्थान की अनुमानित आबादी के अनुसार, 2.36 करोड़ आबादी शहरी क्षेत्र में निवास करेगी जो कि 8.07 करोड़ की कुल अनुमानित आबादी का लगभग 29.24 प्रतिशत होगी। यह राजस्थान में शहरीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है।

शहरी राजस्थान को सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों, गरीबी, अपशिष्ट प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों की कमी और अन्य शहरी बुनियादी सुविधाओं से सम्बंधित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन परिस्थितियों में, शहरी स्थानीय निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इनमें से अधिकांश मुद्दों को स्थानीय स्तर पर प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है।

1.3 शहरी स्थानीय निकायों की रूपरेखा

राजस्थान में, राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को जनसंख्या[1], स्थान और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर पांच श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ 196 शहरी स्थानीय निकाय है, जैसा कि नीचे तालिका में दिखाया गया है।

तालिका 1.1: राजस्थान में श्रेणीवार शहरी स्थानीय निकाय

शहरी स्थानीय निकायों के प्रकार	शहरी स्थानीय निकायों की संख्या
नगर निगम[2]	10
नगर परिषद	34
नगरपालिका मंडल द्वितीय श्रेणी	13
नगरपालिका मंडल तृतीय श्रेणी	58
नगरपालिका मंडल चतुर्थ श्रेणी	81
योग	**196**

स्रोत: स्थानीय निकाय निदेशालय का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2019-20

1 पांच लाख से अधिक जनसंख्या के लिए नगर निगम; एक से पांच लाख के मध्य जनसंख्या के लिए नगर परिषद; 50,000 से 99,999 के मध्य की जनसंख्या के लिए नगरपालिका मंडल (द्वितीय श्रेणी); 25,000 और 49,999 के मध्य की जनसंख्या के लिए नगरपालिका मंडल (तृतीय श्रेणी) और 25,000 से कम जनसंख्या के लिए नगरपालिका मंडल (चतुर्थ श्रेणी)।

2 नगर निगम, जयपुर, जोधपुर और कोटा को 18/10/2019 से दो निगमों में विभाजित किया गया था।

समस्त शहरी स्थानीय निकाय, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 द्वारा शासित हैं। प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय के लिए, क्षेत्र को वार्डों में बांटा गया है, जो पार्षदों के चुनाव के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित और अधिसूचित किये जाते हैं। सभी शहरी स्थानीय निकायों के पास एक निर्वाचित निकाय है, जिसमें कॉरपोरेट/पार्षद शामिल हैं।

1.4 राजस्थान में शहरी शासन की संगठनात्मक संरचना

सरकार के प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव की अध्यक्षता में, स्वायत्त शासन विभाग (एलएसजीडी) सभी शहरी स्थानीय निकायों के शासन के लिए नोडल विभाग है। निदेशालय स्थानीय निकाय (डीएलबी) राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकायों के मध्य परस्पर मिलान बिन्दु के रूप में कार्य करता है। निदेशालय स्थानीय निकाय में संभागीय मुख्यालयों पर यथा अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में सात उपनिदेशक (क्षेत्रीय) हैं, जो दिन-प्रतिदिन के आधार पर निदेशालय स्थानीय निकाय को विवरण देते हैं। राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के कामकाज के संबंध में संगठन संरचना को निम्नानुसार दर्शाया गया है:

निर्वाचित सदस्य स्तर

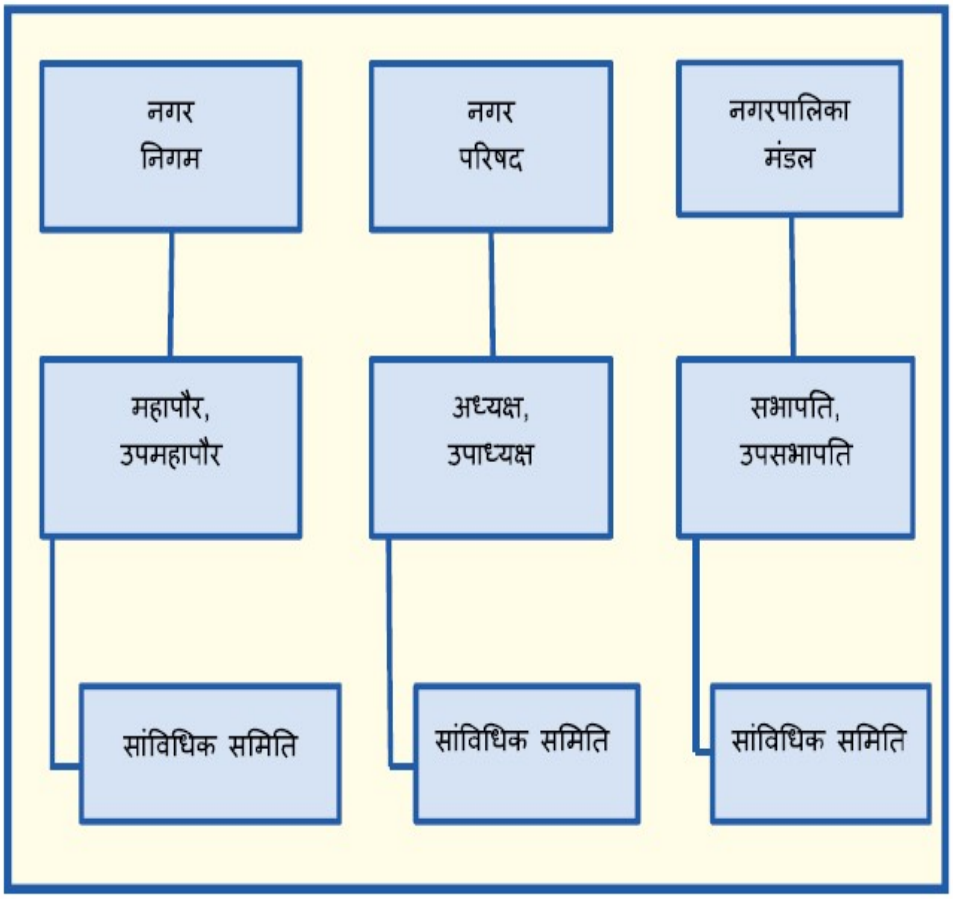

कार्यकारी स्तर

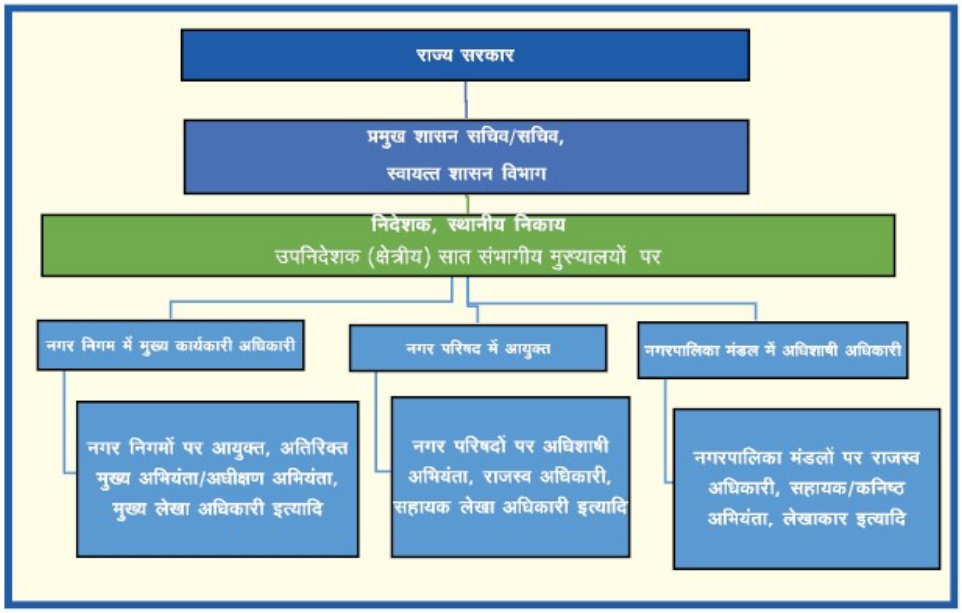

शहरी स्थानीय निकायों के अतिरिक्त, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग में पैरास्टेटल अभिकरण यथा राजस्थान नगरीय पेयजल, सीवरेज और आधारभूत ढांचा निगम (रूडसिको), राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) नगरीय विकास प्राधिकरण (यूडीए), नगरीय सुधार ट्रस्ट (यूआईटीएस), नगर नियोजन विभाग (टीपीडी), राजस्थान आवासन मंडल (आरएचबी) है जो भी शहरी बुनियादी ढांचे और सेवाओं को वितरित या सुविधा प्रदान करते हैं।

पैरास्टेटल्स और उनके कार्यों का विवरण ***परिशिष्ट I*** में दिया गया है।